राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(35)नविवि/3/2010पार्ट–3

जयपुर दिनांक 30 MAY 2017

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के नियम 5(ड) के द्वारा निर्णय अनुसार राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति गठित है :–

(क) विकास प्राधिकरणो/नगर विकास न्यासों के शहरों हेतु सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के लिये राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति :–

1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	संबंधित संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
3.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
4.	समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य सचिव

(ख) विकास प्राधिकरणो/नगर विकास न्यासों के शहरों को छोड़कर अन्य शहरों सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति :–

1.	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
3.	संबंधित निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका) का मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
4.	समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य
5.	निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम् नगर नियोजक	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समितियों द्वारा दिये गये निर्णय की क्रियान्विति हेतु संबंधित नगरीय निकाय को भेजे जाने से पूर्व उस पर प्रभारी मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये जाने एवं अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् निर्णय क्रियान्विति हेतु संबंधित नगरीय निकाय को भेजे जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान को संशोधित करते हुये सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उक्त दोनों समितियों की संयुक्त बैठक माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

30/5/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

3/5/17

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम